

फर्द अहकाम

उपरोक्त अधिकारी चाकड़

वनाम

राजावत

वर्ष

: 299 / 20/3

प्राप्त स्थिति	आज्ञा विस्तृत रूप में	दिनांक विवरण
पापाथ	<p>पक्षावली पेश हुये वकील वादी व स्वयं वादी को लायकाल 6pm तक बार-बार आवज लगाने के बावजूद हाजीर अदालत नहीं आए। न ही वादी की ओर लेअन्य को पेंरवी करने हेतु हाजीर अदालत काय अतः दवा अहम हाजरी एवं अदम पेंरवी में खंशिक क्रिया जाता है। पक्षावली वाद तहमील दाखिल दफ्तर ही</p> <p style="text-align: center;">36 उपरोक्त अधिकारी उपरोक्त, बाकसू (जयपुर)</p>	2